मध्य प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
//मंत्रालय//

क्रमांक 4992/13/2011/ऊ.स./एमडी. भोपाल, दिनांक 9 जून, 2011

प्रति,

अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर।

विषयः—मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों के संगठनात्मक संरचना बाबत।

राज्य शासन म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उनके संचालक मण्डल से अनुमोदित तथा इस पत्र के अनुलग्नक—क पर दर्शायी संगठनात्मक संरचना का एतद् द्वारा अनुमोदन करता है। राज्य शासन द्वारा समय—समय पर मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में भर्ती हेतु दी गई पदों की स्वीकृति इस संगठनात्मक संरचना के अधीन मानी जायेगी।

2— राज्य शासन यह स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 6363 दिनांक 28.12.2010 द्वारा निर्धारित तथा इस पत्र के परिशिष्ट—ख में अंतरित पदोन्नति के 7374 योग्य पदों को कम्पनी के स्वयं के अधिकारियों/कर्मचारियों से तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक इन पदो के फीडर कैडर पर म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल से नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध हों।

3— म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रथम अंतरण योजना नियम 2003 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से अंतरित कार्मिकों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले विनियमों को परिवर्तित करने के लिए सक्षम होगी, परन्तु अंतरण पर निबंधन एवं शर्तें मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में लागू निबंधन एवं शर्तो से कमतर नहीं होगी, जिसमें उनकी पद, श्रेणी, वेतनमान, वेतन, भत्ते व अन्य धन संबंधी प्रसुविधाएं आदि भी सम्मिलित है।

4— मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के अंतरित कार्मिकों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का स्वरुप विद्युत कंपनियों द्वारा यथावत अपनाया जायेगा।

5– अनुलग्नक–क में इस आशय के लिए उपबंधित पदो के लिए कंपनी आवश्यकतानुसार अपने संचालक मण्डल के अनुमोदन से आउट सोर्सिंग का माध्यम अपना सकेंगी।

6– कंपनियों द्वारा की गई तथा की जाने वाली भर्तियों के लिए सेवा शर्तें संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन उपरांत राज्य शासन को भेजी गई है। इन सेवा शर्तों को शासन द्वारा पृथक से अंतिम रुप दिया जा रहा है, तदुपरान्त ही यह सेवा शर्तें लागू की जा सकेगी।

7– मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल से हस्तांतरित ऐसे कार्मिकों जिनके लिए प्रस्तावित संरचना में स्थान उपलब्ध नहीं है, को उनकी सहमति, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के अन्य पदों पर कंपनी अपने संचालक मण्डल के अनुमोदन से नियुक्त कर सकेगी।

8. स्वीकृत पदों पर भर्ती राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत ही की जायेगी। इन भर्तियों को करने के लिए कंपनी को प्रतिवर्ष के लिए एक योजना तैयार करनी होगी तथा उसमें रिक्तियों की स्थिति को स्पष्ट करना होगा। केवल उन पदों पर नियुक्तियां अभी की जायेगी जिन पदो के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से कंपनी को सौंपे गये अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं है और वे पद पदोन्नति के लिए आरक्षित नहीं हैं। नियुक्ति प्रस्ताव अपने संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत कृपया तत्काल शासन को भेजा जाना सुनिश्चित करें। इन नियुक्तियों पर आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(मोहम्मद सुलेमान)
सचिव
O/c म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृ0 कमांक ५११३/13/२०11 भोपाल, दिनांक 9 जून, 2011

प्रतिलिपि:–

सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर।

सचिव 9/6
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग